आई.ई.सी. ग्रुप ऑफ इन्स्ट्टीयूशंस, ग्रेटर नोयडा।

पत्रांकः आईसी/कुस0का0/छात्रवृत्ति सू0/2019–20/ दिनांक 07/08/2019

आवश्यक सूचना

सत्र 2019–2020 के छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म भरे जाने के सम्बन्ध में।

सभी छात्र/छात्राओं को पुनः सूचित किया जाता है कि सत्र 2019–2020 के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म (नवीन/नवीनीकरण) दिनांक 01/07/2019 से समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट (www.scholarship.up.nic.in) पर उप्लब्ध लिंक के माध्यम से भरे जाने शुरू हो गये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता नियमों एवं निर्गत महत्वपूर्ण दिशा/निर्देशों का अनुपालन करते हुए पात्र विद्यार्थी अपना आवेदन फार्म (नवीन/नवीनीकरण) आवश्यक वांछित दस्तावेजों के साथ दी गयी समय सारणी के अनुसार भरना सुनिश्चित करें ताकि संस्था एवं विभाग द्वारा उस समयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

Note:-

1- सभी विद्यार्थी किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिये अपने छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फार्म को स्वयं ऑनलाइन भरें तथा अपने लागिन, पासवर्ड एवं वांछित अभिलेखों को किसी अन्य के साथ साझा न करें।

2- सभी पात्र छात्र/छात्राएं अपना आवेदन फार्म (नवीन/नवीनीकरण) भरने से पहले सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर एवं आवश्यक वांछित दस्तावेजों को जांचोपरान्त ही भरना सुनिश्चित करें ताकि उनका फार्म सस्पेक्ट डाटा में न जा सके एवं विभाग द्वारा उसको निरस्त न किया जा सके।

7/8/2019

(निदेशक)

छायाप्रतिः–

1. सी.ई.ओ. को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. सी.फ.ओं को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नोडल अधिकारी (स्कॉलरशिप) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. छात्रवृत्ति समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं सभी सम्बन्धित छात्रों को सूचना उप्लब्ध कराने हेतु प्रेषित।
7. सूचना पट पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।
8. संस्था की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07.3.19

सत्र 2019–2020 के छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति आवेदन फार्म के साथ लगने वाले दस्तावेजों की सूची

1. छात्र एवं अविभावक के आधार की छाया प्रति ।
2. छात्र के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रति।
3. जाति प्रमाणपत्र की छाया प्रति एवं नेट वेरीफिकेशन की प्रति। (सामान्य वर्ग को छोडकर)
4. आय प्रमाणपत्र * की छाया प्रति एवं नेट वेरीफिकेशन की प्रति।

   नोटः– जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र में आय का स्रोत नौकरी दर्शाया गया है उन आय प्रमाण पत्रों के साथ अभिभावक के वेतन की पर्ची (पे स्लिप) लगाना अनिवार्य है।
5. निवास प्रमाणपत्र की छाया प्रति एवं नेट वेरीफिकेशन की प्रति।
6. सत्र 2019–2020 में जमा की गयी फीस की रसीद की छाया प्रति ।
7. 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
8. 12वीं कक्षा की अंकतालिका की छाया प्रति ।
9. स्नातक की अंकतालिका की छाया प्रति ।(स्नातकोत्तर वर्ग के छात्रों के लिए)
10. सत्र 2018–2019 में दी गयी परीक्षा की अंकतालिका की छाया प्रति।(नवीकरण करने वाले छात्रों के लिए)
11. यदि छात्र ने द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश लिया है तो डिप्लोमा/स्नातक की अंकतालिका की छाया प्रति ।
12. कालेज द्वारा दिये गये पहचान पत्र की छाया प्रति ।
13. छात्र एवं अभिभावक का घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र ।
14. यदि सत्र 2018–19 में कोई परीक्षा नहीं दी है तो अन्तराल का शपथ पत्र।

*नोटः– फ्रेश आवेदन के लिए आय प्रमाणपत्र 1 अप्रेल 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए।

07.08.19

संख्या–137/2019/2124/26-3-2019-4(358)/07 टी.सी. III

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 6 जून 2019

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–400/स0क0/शिक्षा–अ/03/2019–20, दिनांक–09.05.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन करने, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण के लिये प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2019–20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2019–20 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3– उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम करते हुये आयोजित किया जाना है। तत्क्रम में वर्ष 2019–20 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी का प्रस्ताव है :–

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2019–20)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/	01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक

D.P Dwivedi g.o

(3)

07.08.19

	अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यकवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ–226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। **(नोटः–राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 20 जुलाई 2019 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)**	01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	01 जून 2019 से 31 जुलाई 2019 तक
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना।	21 जुलाई 2019 से 23 अगस्त 2019 तक
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	01 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	24 अगस्त 2019 से 16 सितम्बर 2019 तक
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11–12 के छात्रों हेतु :		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 20 अगस्त

D P Dwivedi g o

	(आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 जुलाई से 10 अक्टूबर 2019 तक अनवरत जारी रहेगा।)	2019 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 27 अगस्त 2019 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 03 सितम्बर 2019 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	04 सितम्बर से 20 नवम्बर 2019 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	13 सितम्बर 2019 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों के लिये)	03 सितम्बर से 10 सितम्बर 2019 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के लिये)	11 सितम्बर 2019 से 22 सितम्बर 2019 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	25 सितम्बर 2019 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातो में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2019 तक
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर 2019 को

D.P.Dwivedi g.o

02-08-19

	नोटः-(01 जुलाई से 20 अगस्त 2019 तक आवेदन करने वाले एवं 02 जुलाई से 03 सितम्बर, 2019 तक संस्था से अग्रसारित हुये सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओ को ही 02 अक्टूबर, 2019 को भुगतान हेतु डाटा में शामिल किया जायेगा।)	
	कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु	
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 10 अक्टूबर 2019 तक
16	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
17	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 अक्टूबर 2019 तक
18	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 24 अक्टूबर 2019 तक
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	08 नवम्बर 2019 तक
20	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	25 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2019 तक
21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	21 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2019 तक
22	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	20 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक
23	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 03 दिसम्बर 2019 तक
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	21 नवम्बर 2019 से 06 दिसम्बर 2019 तक

25	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	06 दिसम्बर 2019 से 16 दिसम्बर 2019 तक
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	17 दिसम्बर 2019 से 11 जनवरी 2020 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	16 जनवरी 2020 तक
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2020 तक
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2020 को

नोटः—

1— उक्त समय—सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम प्रत्येक स्थिति में दिनांक 31 अगस्त 2019 तक अपलोड करेगें। यदि परीक्षा परिणाम इसके उपरान्त घोषित किया जाता है तो नवीनीकरण के ऐसे छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी।

3— उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

4— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019—20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

07-08-19

पृ0सं0–।38/2019/2124 (1)/26–3–2019 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।

10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0

(सतीश कुमार)

अनु सचिव।

D.P Dwivedi g.o

03.02.19

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1—छात्र क्या करें:—

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने **शैक्षिक** योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, **जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान** में जमा की गयी शुल्क की **रसीद, पाठ्यक्रम** की अनिवार्य **वार्षिक** नान रिफण्डेबिल **शुल्क** धनराशि, वर्तमान **विश्वविद्यालय**/बोर्ड का **अपना पंजीयन क्रमांक**, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास **एकत्रित कर लें। बिना** आधार **नम्बर के छात्रवृत्ति हेतु** आनलाइन रजिस्ट्रेशन **किया** जाना सम्भव नहीं **होगा।**
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन **करने** के पश्चात एवं फाइनल सबमिट करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा— हाईस्कूल/इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण—पत्र का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण—पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की **गयी कैटेगरी** (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच कर लें तदोपरान्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को **फाइनल सबमिट करें।**
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण—पत्र क्रमांक, आय, आधार नम्बर तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (**Non Refundable fees**) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- नवीनीकरण के छात्र आवेदन पत्र भरने के लिये (01 जुलाई 2019 से प्रारम्भ) निर्धारित अन्तिम तिथि (कक्षा 9—10 के लिये 10 अगस्त 2019 तक एवं कक्षा 11—12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं हेतु 20 अगस्त 2019 तक) से पूर्व ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें जिससे कि नवीनीकरण के पात्र छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक छात्रवृत्ति की धनराशि दी जा सके।
- नवीनीकरण एवं नवीन श्रेणी के अवशेष छात्रों को आवेदन पत्र भरने के लिये 01 जुलाई 2019 से प्रारम्भ होकर निर्धारित अन्तिम तिथि कक्षा 9—10 के लिये 10 सितम्बर 2019 तक एवं कक्षा 11—12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं हेतु 10 अक्टूबर 2019 तक का समय दिया जा रहा है। छात्र इस समय—सीमा में ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। इस समय—सीमा के उपरान्त आवेदन करने की तिथि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। यदि किसी कारणवश वृद्धि की जाती है तो छात्रवृत्ति पाने हेतु छात्र का वरीयताक्रम सबसे नीचे होगा।
- आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से **KYC(Know your customer)** पूर्ण हो जाती है। अपनी बैंक शाखा में **KYC(Know your customer)** फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे।
- बचत बैंक खाता संख्या (**CBS**) एवं **IFSC** कोड को भलीभांति जांच लें। बचत बैंक खाता संख्या एवं **IFSC** कोड भरने में जीरो (0) और ओ (**O**) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा।

07.08.19

- अपने आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या बिलकुल सही भरें, गलत खाता संख्या एवं बैंक शाखा भरने पर आपका आवेदन निरस्त हो जायेगा।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल (Non refundable) फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व IFSC कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
- छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वयं की ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.nic.in पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लघंन कदापि न करें अन्यथा आप छात्रवृत्ति एवं शुल्क पाने से वंचित हो सकते हैं।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट करने पर आपके मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी भेजा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा आपका आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित हो जाय।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा–हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र वार्षिक परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर) का परीक्षाफल प्रकाशित न होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन न करें।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- यदि आपका डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सन्देहास्पद डाटा का अभिलेखों सहित उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होती है तो जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक
निदेशालय समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निदेशक
समाज कल्याण
(जगदीश प्रसाद)
आई० ए० एस०
निदेशक
समाज कल्याण उ० प्र०

(6)

वर्ष 2019–20 हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के लिये आवश्यक सूचना

- सभी संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य तथा उनके अधीनस्थ छात्रवृत्ति का कार्य देखने वाले कर्मचारी/अधिकारी द्वारा तत्काल सक्षम प्राधिकारी/एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर लें। (यदि पूर्व में नहीं प्राप्त किया है) प्रत्येक संस्थान को अपना मास्टर डाटा दिनांक 01 जून 2019 से 20 जुलाई, 2019 तक (कक्षा 9–10 के लिये 01 जून 2019 से 15 जुलाई, 2019 तक) समस्त सूचनाओं (संस्थान का समस्त विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम का वर्षवार पूर्णांक (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर जोडकर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस) को अपडेट करते हुये नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जाना अनिवार्य होगा।
- मास्टर डाटा को अपडेट करने, उनमें पूर्व में प्रदर्शित सूचनाओं में संशोधन करने, पाठ्यक्रम को हटाने या जोड़ने तथा शुल्क के विवरण को अद्यतन करने एवं उससे सम्बन्धित शासनादेशों/आदेशों को अपलोड करने हेतु 01 जून 2019 से 20 जुलाई 2019 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी समयावधि में 15 जुलाई 2019 तक मान्यता प्राप्त संस्थान भी अपने को पंजीकृत करते हुए समस्त सूचनाओं को भरते हुए सम्बन्धित आदेशों को अपलोड करेंगे।
- नवीन शिक्षण संस्थान जिनको 15 जुलाई 2019 तक मान्यता प्राप्त हो चुकी होगी, वे पोर्टल पर आनलाइन आवेदन समस्त सूचनाओं सहित भरेगें एवं उसे सबमिट करेगें तथा समस्त अभिलेखों की हार्डकापी जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा करेगें। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित कर आनलाइन अग्रसारित करने के उपरान्त आनलाइन आवेदन पत्र/हार्डकापी एवं समस्त अभिलेखों के सही पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लागिन एवं पासवर्ड संस्था को दिया जायेगा जिससे नवीन संस्था उपरोक्तानुसार अपना मास्टर डाटा पूर्ण/अपडेट करेगी। इस कार्य को प्रत्येक दशा में 20 जुलाई 2019 तक पूर्ण करना होगा।
- डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश लिया गया हो।
- मैनेजमेंट कोटा/स्पाट एडमिशन/डायरेक्ट एडमिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित छात्र, छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होगें। कोई भी संस्थान ऐसे छात्रों का डाटा छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित नहीं करेगें।
- वर्ष 2019–20 से सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर (बैंक खाते में अंकन के साथ) तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ–साथ विश्वविद्यालय नामांकन संख्या एवं बोर्ड पंजीयन कमांक (जैसा लागू हो) भरना होगा। सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्रों का आधार नम्बर अनिवार्य रूप से बनवाना सुनिश्चित करेगें।
- संस्था अपने यहां अध्ययनरत समस्त छात्रों को भली–भांति यह अवगत करा दें कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित **(Regular)**/स्ववित्त पोषित **(SELF FINANCE)** का चयन आवेदन पत्र भरते समय सावधानीपूर्वक करें। सभी निजी संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार केवल स्ववित्त पोषित **(SELF FINANCE)** ही होगा। गलत पाठ्यक्रम या संस्था द्वारा लाक न किया गया पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित **(Regular)**/स्ववित्त पोषित **(SELF FINANCE)** गलत चयन करने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। संस्था छात्र का डाटा फारवर्ड करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि छात्र द्वारा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित)

सही—सही अंकित किया गया है एवं छात्र उसी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) का है जो आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो रहा है। गलत वर्ग के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।

- संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन प्राप्त करने से पूर्व छात्र का सम्पूर्ण विवरण— हाईस्कूल/इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण—पत्र का कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यकम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यकम एवं पाठ्यकम का प्रकार, आय प्रमाण—पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, छात्र द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि को ठीक ढंग से परीक्षण करने के उपरान्त ही छात्र का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाय। गलत अंकित विवरण के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- किसी भी संस्था को पाठ्यकम का एक वर्ष (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर पूर्ण करने के पूर्व) पूर्ण किये बगैर अगले वर्ष की कक्षा में आवेदन अग्रसारित नहीं करना है। सम्बन्धित वर्ष का पाठ्यकम पूर्ण किये बगैर अगले वर्ष हेतु छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- पूर्वदशम (कक्षा 9—10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 10 सितम्बर 2019 तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा शैक्षणिक संस्थान छात्र का आवेदन पत्र आनलाइन दिनांक 24 सितम्बर 2019 तक अग्रसारित करेगें। दिनांक 22 अगस्त 2019 तक संस्था से अग्रसारित नवीनीकरण के छात्रों को 02 अक्टूबर 2019 तक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जायेगी।
- कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यकमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन पत्र भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा। किसी भी पाठ्यकम में दूसरी बार छात्र द्वारा आवेदन का नवीनीकरण ही किया जाय, न कि नवीन आवेदन पत्र छात्र भरें। संस्था सही छात्रों को यह अवगत करा दें कि छात्र को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि नियमावली में दी गयी व्यवस्था/वरीयताकम के अनुसार धनराशि की उपलब्धता आधार पर सीधे छात्र के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।
- बैंक खाते के सम्बन्ध में सभी छात्रों को संस्था द्वारा यह अवगत करा दिया जाय कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के0वाई0सी0 (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो तथा छात्र के खाते में लेन—देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय—अन्तराल में हो रहा हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में आनलाइन ट्रांसफर के लिये कोई ऐसी सीमा (Limit) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये। कभी—कभी छात्रों द्वारा बन्द खाते का अंकन भी आवेदन पत्र में किया जा रहा है जिससे धनराशि का अन्तरण सम्भव नहीं हो पा रहा है, ऐसा न करें।
- शिक्षण संस्थान को नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण यथा—छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोडकर चला गया आदि का अनिवार्य रूप से स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन अंकित करके प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी को अपने डिजिटल सिग्नेचर से दिनांक 13 सितम्बर 2019 से 15 नवम्बर 2019 तक (कक्षा 9—10 के लिये दिनांक 13 सितम्बर 2019

से 15 अक्टूबर 2019 तक) सत्यापित करना होगा। इस डाटा का शिक्षा विभाग/कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन भी किया जायेगा।

- नये छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में आनलाइन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। यह मुख्य रूप से आय, जाति प्रमाण पत्र के कमांक की प्रविष्टि में त्रुटि, आय में त्रुटि, आधार नम्बर में त्रुटि, हाईस्कूल के रोल नम्बर की प्रविष्टि में त्रुटि से सम्बन्धित होगी जिसे छात्र सही करके पुनः सबमिट करेंगे।
- निर्धारित अन्तिम तिथि के कम से कम 04 दिवस पूर्व तक छात्र अपने आनलाइन आवेदन को पूर्ण कर लें ताकि यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने का अवसर प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व उन्हें मिल सके।
- राज्य स्तरीय स्कूटनी में संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र एवं संस्था के लागिन पर समय–सारिणी में दी गयी समयावधि में प्रदर्शित किया जायेगा और आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करने का एक और अवसर प्राप्त होगा। सही किये गये आवेदन पत्र का छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट लेकर संस्था में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा तथा संस्था द्वारा परिवर्तित किये गये आवेदन पत्र को पुनः आनलाइन अग्रसारित करना अनिवार्य होगा अन्यथा संशोधित किया गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
- राज्य स्तरीय स्कूटनी में संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र एवं संस्था के लागिन पर समय–सारिणी में दी गयी समयावधि में प्रदर्शित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में जनपदीय अधिकारी को अभिलेखों सहित सन्देहास्पद डाटा के छात्रों के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करेगें।
- समय–सारिणी मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जारी की जा रही है, इस कारण समय–सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में कोई भी वृद्धि/परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः समय–सारिणी के अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करें।
- संस्थायें वर्ष 2019–20 की समय–सारिणी, नियमावली 2018, एवं समय–समय पर प्रदर्शित की जाने वाली अन्य सूचनाओं हेतु **http:// scholarship.up.nic.in** पर लागिन करके प्राप्त कर सकते हैं।

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक
निदेशालय समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।
(... प्रसाद)
आई० ए० एस०
निदेशक
समाज कल्याण, उ० प्र०